



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092021-229588
CG-DL-E-14092021-229588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]
No. 516]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2021

संख्या 50/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 630(अ).—जहां कि यूरोपीय संघ में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “रबर केमिकल पीएक्स-13” और चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “रबर केमिकल एमओआर” जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), के क्रमशः अध्याय 29 और 38 में आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि;

- विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया था जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई थी।
- विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई थी।
- यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई थी।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित थी और भारत में आयातित थी, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1427 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तु पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि सोलुटिया यूरोप बीवी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि ये अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में, प्रकाशित किया गया था, में निर्यातक कंपनी का नाम “सोलुटिया यूरोप बीवीबीए/एसपीआरएल” से बदलकर “सोलुटिया यूरोप बीवी” कर दें;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने संशोधन अधिसूचना संख्या 7/48/2020-डीजीटीआर, दिनांक 6 मई, 2021, जिसे दिनांक 6 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुंचें हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इसमें कारोबार की मूलभूत प्रकृति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की बात निहित नहीं है और उन्होंने यह सिफारिश की है कि उनके अंतिम निष्कर्षों अर्थात् अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 में निर्यातक का नाम “सोलुटिया यूरोप बीवीबीए/एसपीआरएल” से बदलकर “सोलुटिया यूरोप बीवी” कर दिया जाए।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में उपर्युक्त संशोधनों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1427 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष,-

- (i) कॉलम (6) की प्रविष्टि में “सोलुटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीए, बेल्जियम” अक्षर एवं शब्दों के स्थान पर “सोलुटिया यूरोप बीवी” अक्षर एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है;
- (ii) कॉलम (7) की प्रविष्टि में “सोलुटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीए, बेल्जियम” अक्षर एवं शब्दों के स्थान पर “सोलुटिया यूरोप बीवी” अक्षर एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है;

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/175/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2021

No. 50/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 630 (E).—Whereas, in the matter of ‘Rubber chemical PX-13, originating in, or exported from, EU and Rubber chemical MOR, originating in, or exported from, China PR’ falling under Chapter 29 and 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 15/05/2016-DGAD, dated the 2nd September, 2017 had come to the conclusion that –

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry had suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country;
- (iii) the material injury had been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty imports the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the Designated Authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2017-Customs (ADD), dated the 17th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1427(E), dated the 17th November, 2017;

And whereas, Solutia Europe BV requested the Designated Authority for changing the name of exporter company from “Solutia Europe BVBA/SPRL, Belgium” to “Solutia Europe BV” in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 15/05/2016-DGAD, dated the 2nd September, 2017;

And whereas, the Designated Authority, *vide* amendment notification No. 7/48/2020-DGTR, dated the 6th May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 6th May, 2021, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the basic nature of the business and recommended that the name of the exporter viz. “Solutia Europe BVBA/SPRL, Belgium”, be amended to “Solutia Europe BV” in its final findings 15/05/2016-DGAD, dated the 2nd September, 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid amendments to final findings of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54/2017-Customs (ADD), dated the 17th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1427(E), dated the 17th November, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 1, -

- (i) in the entry in column (6), for the words and phrase “Solutia Europe SPRL/BVBA, Belgium”, the words and phrase “Solutia Europe BV” shall be substituted;
- (ii) in the entry in column (7), for the words and phrase “Solutia Europe SPRL/BVBA, Belgium”, the words and phrase “Solutia Europe BV” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/175/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.